REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222775 CG-DL-E-27102020-222775

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्त्तिक 5, 1942 No. 551] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 675(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 949(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2019 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 दिसंबर, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:----

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 51ख का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस-38012/01/2016-सा सु-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में तारीख 22 जून, 1950 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 212, द्वारा प्रकाशित किया गये थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ), तारीख 14 सितम्बर 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

G.S.R. 675(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 949(E), dated the 24th December, 2019, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24th December, 2019;

And whereas, objection or suggestion received from different organisations in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, rule 51B shall be omitted.

[F. No. S-38012/01/2016-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 555(E), dated 14th September, 2020.